



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

No. 2018/HQ/Admin/RTI-259

New Delhi: 26.07.2018

श्री आर० बी० चौधरी
चेम्बर -पुरानी स्पेशल जज डकैती कानपुर देहात
कोर्ट के सामने कोर्ट कम्पाउंड सिविल कोर्ट निकट
डी० एस० ओ० ऑफिस के पास कानपुर नगर, यु० पी०

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 10.07.18.

You have submitted your above RTI application at CPM/Allahabad's office, The CPM/Allahabad's office, here the deemed CPIO, has forwarded the same along with their reply to this office which is attached.

DA: 1 sheet

(S.K.PANDA)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

9717636811

Chief Project Manager, DFCCIL,
Allahabad (West)
Old GM Building,
Near Balmiki Chouraha,
Allahabad-211001 :

For information & Record only



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपकर्म
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. ALD/W/EN/RTI/49/Vol.III

Dated : 24.07.2018

उप महाप्रबन्धक / प्रशासन / आर.टी.आई
मुख्यालय, डीएफसीसीआईएल,
5 वी मंजिल,
प्रगति मैदान मेट्रो, बिल्डिंग काम्पलेक्स,
नई दिल्ली-110001

विषय: जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री आर.बी. चौधरी, (अधिवक्ता), चेम्बर-पुरानी स्पेशल जज डकैती कानपुर देहात कोर्ट के सामने कोर्ट कम्पाउण्ड सिविल कोर्ट कानपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: श्री आर बी चौधरी का पत्र दिनांक 10.07.2018

संदर्भित पत्र के संबंध में आवेदक द्वारा मांगी गयी मदवार सूचना निम्नलिखित है:-

- क0सं0 1 व 2. के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह कि श्री रामभुवन अधिवक्ता द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 14.05.2018 के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.06.2018 को पत्र प्रेषित किया गया है।
- क0सं0 3 व 4. के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय की जानकारी अनुसार ग्राम सेन पश्चिमपारा के राजस्व नक्शों एवं खसरा (1415 फसल) में गाटा सं0 520 अंकित है न कि 520क व 520ख। तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत गाटों का रकबा 0.1840हे0 का अर्जन वाद सं0 23/2009-10 के अन्तर्गत पारित अभिनिर्णय दिनांक 26.08.2010 द्वारा किया गया है एवं प्रभावित भूस्वामियों के नाम से सक्षम प्राधिकारी कार्यालय द्वारा प्रतिकर बनाया गया है। राजस्व अभिलेखों से स्पष्ट है कि गाटा सं0 520क रकबा 0.1840हे0 के तत्समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूस्वामियों पलकधारी व जगदीश नारायण पुत्रगण रामदौर व अन्य सह-खातेदार का नाम पृथक करके भारत सरकार रेल मंत्रालय का नाम नोटिफिकेशन संख्या का.अ. 2287(अ) रेल मंत्रालय भारत सरकार राजपत्र दिनांक 09.09.2009 अभिनिर्णय दिनांक 26.08.2010 के अनुसार आदेश अंकित किया गया है। चूंकि विशेष रेल परियोजना हेतु कानपुर नगर में समस्त भूअर्जन सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) कानपुर नगर द्वारा किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

संलग्नक: आर.बी. चौधरी, एडवोकेट जी डी अर्जुन पाल

21/7/18
(राम चन्द्र उपाध्याय)
जनसूचना अधिकारी/
परियोजना प्रबन्धक/वित्त
डी.एफ.सी.सी.आई.एल
इलाहाबाद